न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद, जिला कोटा (राजस्थान)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सरकार बनाम राकेश** **दाण्डिक (सीआईएस) प्रकरण सं. – 2405/2014** **सी.एन.आर.नम्बर –** RJKT16-000189-2009	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12-05-2025	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त राकेश अनुपस्थित। पुलिस थाना सीमलिया कोटा ग्रामीण से अभियुक्त का गिरफ्तारी वारण्ट इस रिपोर्ट के साथ अदम तामील प्राप्त हुआ है कि वारण्टी के दिए गए पते पर जाकर तलाश किया तो उक्त वारण्टी नहीं मिला। मालूम किया तो कुछ साल से गांव में दिखाई नहीं दिया। उक्त वारण्टी के गांव में मिलने की कोई संभावना नहीं है। बाद अवलोकन गिरफ्तारी वारण्ट शामिल पत्रावली 'ए'–पार्ट किया जावे। तामील कुनिन्दा द्वारा वारण्ट पर की गई रिपोर्ट, गत आदेशिकाओं एवं पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि लम्बे समय से अभियुक्त के गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो रहे हैं और अभियुक्त को यह जानकारी है कि न्यायालय के समक्ष उसका प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी दशा में न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी के डर से सकुनत से रुहपोश हो गया है तथा जिसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त **राकेश पुत्र प्रभुलाल, निवासी कल्याणपुरा, थाना सीमलिया, जिला कोटा (राज.) को मफरुर घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82, 83 सीआरपीसी (धारा 84, 85 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। अभियुक्त को स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे।** यदि पूर्व में धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही नहीं खोली हो तो वो भी खोली जावे। वारण्ट पर लाल स्याही से जामीन का नाम व पता अंकित करते हुए संबंधित थाने के मफरुरी रजिस्टर के दर्ज क्रमांक व त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट लौटती डाक से भिजवाये जाने का नोट लगावे। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण में मुल्जिम राकेश मफरुर है, पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे। साथ ही फौजदारी लिपिक को निर्देश है कि वह स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट की प्राप्ति रसीद, आदेशिका के हाशिए पर लेवे और वारण्ट की सत्य प्रति भी रिकॉर्ड पर रखें व मफरुरी रजिस्टर में नियमानुसार प्रविष्टि करते हुए राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से सत्यापन करें। अतः पत्रावली फिलहाल मफरुरी में फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर की जावे। **(संजय कुमार मालवीया)**	